न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
221/2025	25.04.2025	23.05.2025

1. श्री शम्भुलाल पिता नन्दा गाडरी, निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
2. बाबुलाल पिता नन्दा गाडरी, निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
3. नारायण पिता नन्दा गाडरी, निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. रूकमा पुत्री काशीराम जाट, निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
2. शंकर पिता काशीराम जाट, निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
3. बदरी पिता काशीराम जाट, निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
4. प्रहलाद पिता बरजू हवलदार, निवासी मुरलिया तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
5. प्रेमलाल पिता बरजू हवलदार, निवासी मुरलिया तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
6. देवीलाल पिता खाना, निवासी मुरलिया तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
7. कमलेश पिता गोपाल सुथार, निवासी मुरलिया तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
8. जगन्नाथ पिता भूरा सुथार, निवासी मुरलिया तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, बडलियास (राज)।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री शंकरलाल नायक उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मुरलिया पटवार हल्का आमां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बडलियास जिला भीलवाड़ा की सरहद मे प्रार्थीगण आराजी संख्या 115 रकबा 0.1945 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 116 रकबा 0.1620 हेक्टैयर, आराजी नम्बर 117 रकबा 0.0648 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 118 रकबा 0.0324 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 119 रकबा 0.1728 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 120 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 121 रकबा 0.0756 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 122 रकबा 0.2485 हेक्टयेर, आराजी नम्बर 123 रकबा 0.2161 हैक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 1.2639 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मैंनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम मुरलिया पटवार हल्का आमां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बडलियास जिला भीलवाड़ा की सरहद मे प्रार्थीगण आराजी संख्या 115 रकबा 0.1945 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 116 रकबा 0.1620 हेक्टैयर, आराजी नम्बर 117 रकबा 0.0648 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 118 रकबा 0.0324 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 119 रकबा 0.1728 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 120 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 121 रकबा 0.0756 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 122 रकबा 0.2485 हेक्टयेर, आराजी नम्बर 123 रकबा 0.2161 हैक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 1.2639 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु नायब तहसीलदार बडलियास को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक0त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा